जिला दण्डाधिकारी एवं उपायुक्त का कार्यालय,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

(जिला विकास–शाखा)

पत्रांक 542 / वि0

प्रेषक,

उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

सेवा में,

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम।

जमशेदपुर, दिनांक 22 वी0, जुलाई, 2019

विषयः– मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना अन्तर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले के बी0पी0एल0 श्रेणी के सुयोग्य लाभूकों की सूची विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराने के संबध मे।

प्रसंगः– प्रबंध निदेशक, झारखण्ड टूरिज्म डेवलॉपमेंट कॉरपोरेशन, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–751/2019, 752/2019, 753/2019, 754/2019 दिनांक–12.07.2019

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि झारखण्ड **"मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना"** अन्तर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले के BPL श्रेणी के विभिन्न धर्मावलम्बियों के सुयोग्य लाभुकों को **वाराणसी, अजमेर शरीफ, अमृतसर एवं बैंडेल चर्च कोलकाता** की तीर्थ यात्रा कराने हेतु निम्नवत् लाभुकों की संख्या एवं तिथि निर्धारित की गई है।

क्र0	जिला का नाम	तीर्थ स्थल का नाम	धर्मावलम्बी	लाभुकों की संख्या	तीर्थ दर्शन की निर्धारित तिथि
1	पूर्वी सिंहभूम	वाराणसी	हिन्दु	300	दिनांक–17.10.2019 से 21.10.2019
2		अजमेर शरीफ	मुस्लिम	60	दिनांक–13.09.2019 से 18.09.2019
3		अमृतसर	सिख	100	दिनांक–02.08.2019 से 07.08.2019
4		बैंडेल चर्च कोलकाता	ईसाई	60	दिनांक–28.08.2019 से 31.08.2019

सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम उक्त तीर्थ यात्रा हेतु सुयोग्य लाभुकों की विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र के साथ सूची उपलब्ध कराने हेतु निम्नवत् लक्ष्य निर्धारित की गई है।

क्र0	प्रखण्ड का नाम	लाभकों की संख्या (लक्ष्य) / फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि			
		वाराणसी दिनांक–30.08.2019	अजमेर शरीफ दिनांक–25.07.2019	अमृतसर दिनांक–23.07.2019	बैंडेल चर्च कोलकाता दिनांक–05.08.2019
1	जमशेदपुर	50	20	100	20
2	पोटका	30	15	0	0
3	पटमदा	30	0	5	4
4	घाटशिला	30	10	10	15
5	मुसाबनी	25	10	0	10
6	डुमरिया	15	5	0	0
7	धालभूमगढ़	15	0	0	10
8	चाकुलिया	40	0	0	0
9	बहरागोड़ा	40	10	10	10
10	बोड़ाम	20	0	0	0
11	गुड़ाबान्दा	10	3	0	0
कुल योग–		305	73	125	69

अतः निदेश है कि उक्त लक्ष्य के अनुसार BPL श्रेणी के सुयोग्य लाभुकों का चयन कर विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र (सभी वांछित प्रमाण पत्र) के साथ सूची उपलब्ध कराया जाय।

विश्वासभाजन

उपायुक्त,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर

U-J-563

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 29 राँची, बुधवार 30 भाद्र, 1938 (श०) / 21 सितम्बर, 2016 (ई०)

विषय-सूची

पृष्ठ

भाग 1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ। 429-458

भाग 1–क–स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।

भाग 1–ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।

भाग 1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा

भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।

भाग 3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।

पृष्ठ

भाग-4–झारखण्ड अधिनियम

भाग-5–झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।

भाग-7–संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।

भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

भाग-9- विज्ञापन ---

भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं

भाग-9-ख–निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।

पूरक-- ... ...

पूरक "अ" ... ...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ।

आदेश

9 सितम्बर, 2016

संख्या-01/नि०स्था०(अरा०)-105/14-4948-- श्री गगन कुमार साहु,तत्कालीन अस्थायी लिपिक, शहरी क्षेत्र संख्या-03 (काँके प्रक्षेत्र), राँची को दस्तावेज संख्या-5149, दिनांक 13 अगस्त, 1997 की सच्ची प्रतिलिपि तैयार करने के क्रम में एक क्रेता का नाम छोड़ने के आरोप में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, राँची के आदेश ज्ञापांक-174/गो०, दिनांक 7 मार्च, 2014 द्वारा निलंबित किया गया। विभागीय पत्रांक-937, दिनांक 3 जुलाई, 2014 द्वारा उक्त निलंबन आदेश को सम्पुष्ट करते हुए श्री साहु के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी ।

उक्त विभागीय कार्यवाही में नियुक्त संचालन पदाधिकारी श्री सैयद ओबैदुल्लाह, सहायक निबंधन महानिरीक्षक द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन, आरोप पत्र एवं अभिलेखों की सम्यक समीक्षोपरांत श्री साहु को निलंबन से मुक्त करते हुए लघु दण्ड स्वरूप निम्नांकित दण्ड अधिरोपित किया जाता है तथा इनके विरूद्ध सांस्थित विभागीय कार्यवाही को निस्तारित किया जाता है -

"असंचयात्मक प्रभाव से एक वर्ष की अवधि के लिए वेतन वृद्धि पर रोक, जिसका प्रतिकूल प्रभाव इनकी पेंशन तथा किसी परिवीक्षाधीन कर्मी की सेवा संपुष्टि पर नहीं पड़ेगा ।"

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अवध नारायण प्रसाद,
सरकार के उप सचिव ।

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

(पर्यटन प्रभाग)

संकल्प

6 सितम्बर, 2016

विषय: "मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना" लागू करने के संबंध में ।

संख्या - पर्यटन/नि./यो.-78/2015 - 1556--"तीर्थ यात्रा" भारत की संस्कृति के साथ साथ विश्व के अन्य संस्कृतियों में एक विशेष महत्व रखता है । तीर्थ यात्रा आध्यात्मिक एवं उत्कृष्ट अनुभव के रूप में माना जाता है । तीर्थ यात्रा की परम्परा प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में एक विशेष विविधता धारण करने और इसे बरकरार रखने में हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । यह सामाजिक सद्भाव को भी बढ़ावा देता है । तीर्थ यात्रा व्यक्ति के इच्छाओं में शामिल होता है । समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में एक बार अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए पवित्र स्थानों के तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता है, परन्तु वित्तीय रूप से सक्षम न होने के कारण व्यक्ति अपनी इस इच्छा को पूरा करने में असमर्थ रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह इस ईश्वरीय अनुभव को एक अधूरा सपना मान कर रह जाता है ।

2. उक्त परिप्रेक्ष्य को देखते हुए राज्य के सभी धर्म/सम्प्रदायों के BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को पवित्र स्थानों का दर्शन सरकारी सहयोग से कराने का प्रस्ताव सरकार के स्तर पर विचाराधीन था ।

3. अतः सम्यक विचारोपरान्त पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के सभी धर्म/सम्प्रदायों के BPL श्रेणी के वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा करने के लिए एक सुनहरा अवसर प्रदान कराने हेतु "मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना" तैयार किया गया है, जो परिशिष्ट के रूप में संलग्न है। योजना झारखण्ड सरकार के Website: www.jharkhand.gov.in/tourism पर भी उपलब्ध है ।

4. यह योजना सभी धर्म/सम्प्रदाय के निर्धन, पिछड़े एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित है । इस योजना के अन्तर्गत सरकारी सहयोग के माध्यम से अधिक उम्र के निर्धन, पिछड़े एवं वरिष्ठ नागरिकों को दो बार तीर्थ यात्रा करने का अवसर प्रदान किया जायेगा । एक बार झारखण्ड राज्य में स्थित तीर्थ स्थलों (चयनित) तथा एक बार झारखण्ड राज्य के बाहर स्थित तीर्थ स्थलों (चयनित) की यात्रा में सरकार सहायता प्रदान करेगी । तीर्थ यात्रा योजना का एक बार लाभ उठाने के पश्चात् दूसरी बार दो वर्ष की अवधि के बाद ही योजना का लाभ मिलेगा । झारखण्ड राज्य एवं राज्य के विभिन्न जिलों से इस योजना का लाभ उठाने वाले तीर्थयात्रियों के संख्या का निर्धारण विभाग द्वारा किया जायेगा ।

5. वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित तीर्थ स्थानों का चयन किया गया है:-

- झारखण्ड राज्य के अंतर्गत तीर्थ स्थान:-
  1) रजरप्पा, 2) देवघर, 3) सम्मेद शिखर,

  4) बासुकीनाथ, 5) मलूटी, 6) ईटखोरी (माँ भद्रकाली मंदिर)

- झारखण्ड राज्य के बाहर तीर्थ स्थान:-
  1) द्वारका, सोमनाथ, 2) पूरी, भुवनेश्वर, 3) तिरूपति, मदुरै, रामेश्वरम

  4) हरिद्वार एवं ऋषिकेश, 5) वैष्णो देवी एवं जम्मू, 6) शिर्डी, सिंगनापुर, नासिक

  7) अजमेर शरीफ, फतेहपुर सिकरी, आगरा, 8) अमृतसर, स्वर्ण मंदिर, 9) श्रवणबेलगोला

  10) वेलांकनी चर्च नागापट्टनम, 11) गोवा, (बेसिलिका ऑफ बोम जीसस)

समय-समय पर माँग के आधार पर आमंत्रण के समय झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि०,राँची (JTDC) तीर्थ स्थानों को अधिसूचित किया जायेगा ।

6. इस योजना के अन्तर्गत चयनित तीर्थ यात्रियों को निम्न सुविधाएँ एवं लाभ प्राप्त होगा:-

- तीर्थ स्थान के लिए रेल/सड़क यात्रा ।
- यात्रा के दौरान पेयजल एवं खाद्य सामग्री की व्यवस्था ।
- गन्तव्य स्थान के नजदीक में आवासन (यदि आवश्यक हो) ।
- यात्रा रक्षक दल, यात्रा मार्गदर्शक, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, विशेष यात्रा उपकरण, यात्रा बीमा, आदि (आवश्यकता के अनुसार) ।
- यात्रा के दौरान बुनियादी चिकित्सा सुविधा एवं सहायता ।

उपर्युक्त विवरण में दिये गये सुविधाओं के अलावा यदि किसी यात्री को अतिरिक्त सुविधा लेनी हो तो प्रत्येक सुविधा के लिए उनको अलग से भुगतान करना होगा । उक्त अतिरिक्त राशि का निर्धारण झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि०, राँची (JTDC) द्वारा किया जायेगा ।

7. झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि०, राँची (JTDC) इस योजना के लिये कार्यान्वयन एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा । यह योजना कार्यान्वित करने के लिए JTDC, Ranchi IRCTC (भारत सरकार के उपक्रम) के साथ आपसी समझौता पत्र/सहमति पत्र निष्पादित करेगा (प्रारूप संलग्न) । तीर्थ यात्रियों को IRCTC के पैकेज के तहत् भेजा जायेगा । यदि IRCTC किसी भी वांछित जगह को टूर पैकेज उपलब्ध कराने में असमर्थ हो, तो JTDC अपने स्तर से आपरेटर/एजेन्ट का चयन कर उसी जगह के लिए टूर पैकेज उपलब्ध करायेगा ।

8. चूँकि तीर्थ यात्रियों को IRCTC के टूर पैकेज के तहत् भेजा जाना है एवं उक्त टूर पैकेज में चयनित तीर्थ यात्रियों को विभिन्न सुविधाएँ यथा तीर्थ स्थान के लिए रेल/सड़क यात्रा, यात्रा के दौरान पेयजल एवं खाद्य सामग्री की व्यवस्था, गन्तव्य स्थान के नजदीक में आवासन (यदि आवश्यक हो) इत्यादि दिया जाना है जिस हेतु अग्रिम राशि का भुगतान IRCTC को करने की आवश्यकता पड़ेगी । उक्त अग्रिम राशि का भुगतान JTDC द्वारा IRCTC को किया जायेगा ।

9. योजना पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष में राज्य योजना बजट मुख्यशीर्ष-3452-पर्यटन, उप मुख्य शीर्ष -01- पर्यटक अवसंरचना, लघुशीर्ष -101- पर्यटक केन्द्र, उपशीर्ष -15- पर्यटक सुविधाओं हेतु प्रबंधन, सफाई, निर्माण, उन्नयन, प्रचार आदि, राज्य के गरीब परिवारों को राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर (देश के अन्दर) देश के महत्वपूर्ण पर्यटन/धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराने एवं पर्यटक सुविधाओं के लिए झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि॰ को वित्तीय सहायता, विस्तृत शीर्ष -06- अनुदान, 49 आर्थिक सहायता अन्तर्गत (विपत्र कोड 46P345201101150649) तथा राज्य योजना बजट मुख्यशीर्ष-3452-पर्यटन, उप मुख्य शीर्ष -01- पर्यटक अवसंरचना, लघुशीर्ष -796- जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजनान्तर्गत, उपशीर्ष -15- पर्यटक सुविधाओं हेतु प्रबंधन, सफाई, निर्माण, उन्नयन, प्रचार आदि, राज्य के गरीब परिवारों को राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर (देश के अन्दर) देश के महत्वपूर्ण पर्यटन/धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराने एवं पर्यटक सुविधाओं के लिए झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लि॰ को वित्तीय सहायता, विस्तृत शीर्ष -06- अनुदान, 49 आर्थिक सहायता अन्तर्गत (विपत्र कोड 46P345201796150649) से किया जाएगा ।

10. "मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लाभार्थियों (स्वयं/पति/पत्नी/एवं परिवार के सदस्यों) के सहयोग हेतु एक पारिवारिक सदस्य भी सह यात्री के रूप में यात्रा में सम्मिलित रहेंगे" ।

11. "मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना" पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य (पर्यटन प्रभाग) विभागीय संलेख ज्ञापांक-1496 दिनांक 26 अगस्त, 2016 के क्रम में दिनांक 30 अगस्त, 2016 की बैठक के मद संख्या-07 के रूप में दी गई है कि ।

12. यह संकल्प झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सतेन्द्र सिंह,
सरकार के सचिव ।

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना'

तीर्थयात्रा पर जाने के लिए राज्य के निर्धन वरिष्ठ नागरिकों को सहायता प्रदान करने हेतु योजना।

पर्यटन निदेशालय,

(क) <u>पृष्ठभूमि-</u>

"तीर्थयात्रा" भारत की संस्कृति के साथ-साथ विश्व के अन्य संस्कृतियों में एक विषेष महत्व रखता है। तीर्थयात्रा आध्यात्मिक और उत्कृष्ट अनुभव के रूप में माना जाता है । तीर्थयात्रा की परम्परा प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति की एक विशेष विविधता धारण करने और इसे बरकरार रखने में हमेशा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है । यह सामाजिक सद्भाव को भी बढ़ावा देता है । तीर्थयात्रा व्यक्ति के इच्छाओं में शामिल होता है, व्यक्ति एक बार अपने इच्छा को पूरा करने के लिए वह मंदिरों/पवित्र स्थानों पर जाने के लिए, तीर्थयात्रा पर जाना चाहता है और उनकी यह इच्छा बुढ़ापे में अपने चरम तक पहुँच जाता है । परन्तु निर्धन और वरिष्ठ के कारण व्यक्ति के लिए निराशाजनक और इसे साकार कर सकने में वह सक्षम नही होता है, जिसके परिणामस्वरूप वह इस ईश्वरीय अनुभव को एक अधुरा सपना मानकर रह जाता है । महाकाव्य रामायण में उल्लेखित है "तीर्थयात्रा कराने के लिए श्रवण कुमार अपने माता-पिता को कंधों पर ले गये थे", यह कार्य माता-पिता के प्रति अद्वितीय समर्पण का प्रतीक माना जाता है ।

तीर्थयात्रा के लिए राज्य सरकार के द्वारा राज्य के निर्धन, पिछडे एवं वरिष्ठ नागरिकों को सहयोग करने का सतत् प्रयास करे । प्रत्येक व्यक्ति के जीवनकाल में एक बार तीर्थयात्रा करने के इस अधूरे सपने को साकार करने के लिए राज्य सरकार सतत् प्रयास करे ।

इसे ध्यान में रखते हुए झारखण्ड सरकार भी तीर्थयात्रा हेतु पर्यटन विभाग द्वारा निर्धन, पिछडे एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए सुनहरा अवसर प्रदान कराने हेतु एक योजना तैयार किया गया है । इस योजना का नाम है "मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना" जिसके सहयोग से राज्य के वंचित निर्धन, पिछडे एवं वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ स्थलों की यात्रा करने का सपना साकार हो सके । यह योजना सभी धर्म/विश्वास के निर्धन, पिछडे एवं वरिष्ठ नागरिकों के लोगों के लिए समर्पित है ।

इस योजना के अंतर्गत सरकारी सहयोग के माध्यम से अधिक उम्र के निर्धन, पिछडे एवं वरिष्ठ नागरिको को दो बार तीर्थयात्रा करने का अवसर प्रदान किया जायेगा । एक बार झारखण्ड राज्य में

स्थित (चयनित) तीर्थ स्थलों का भ्रमण के लिए तथा, और एक बार झारखण्ड राज्य के बाहर स्थित (चयनित) तीर्थस्थलों की यात्रा में सरकार सहायता प्रदान करेगी ।

झारखण्ड पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (JTDC) इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। यह योजना कार्यान्वित करने के लिए JTDC, IRCTC (भारत सरकार का उपक्रम) के साथ आपसी समझौता पत्र/सहमति पत्र पर निष्पादित करेगा । तीर्थयात्रियों को IRCTC के पैकेज के तहत् भेजा जाएगा । अगर IRCTC किसी भी वांछित जगह को टूर पैकेज उपलब्ध कराने में असमर्थ हो, तो JTDC अपने स्तर से आपरेटर/एजेन्ट का चयन कर उसी जगह के लिए टूर पैकेज उपलब्ध कराएगा ।

(ख) <u>इस योजना के अंतर्गत लाभ एवं सुविधाएँ -</u>

- तीर्थ स्थान के लिए रेल/सड़क यात्रा:
- यात्रा के दौरान पेयजल एवं खाद्य सामग्री की व्यवस्था:
- गंतव्य स्थान के नजदीक में आवासन (यदि आवश्यक हो):
- यात्रा रक्षकदल, यात्रा मार्गदर्शक, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, विशेष यात्रा उपकरण, यात्रा बीमा आदि, (आवश्यकता के अनुसार)
- यात्रा के दौरान बुनियादी चिकित्सा सुविधा एवं सहायता ।

उपर्युक्त विवरण में दिये गये, सुविधा के अलावा अगर किसी यात्री को अतिरिक्त सुविधा लेनी हो तो प्रत्येक सुविधाओं के लिए अलग से भुगतान करना होगा । इसका अंतिम निर्णय श्रज्क्ब् के द्वारा प्रत्येक यात्रा के लिए आई॰आर॰सी॰टी॰सी॰ एवं निर्धारित यात्रा संचालक के साथ परामर्श करना होगा ।

(ग) <u>पात्रता की शर्तें-</u>

1. तीर्थयात्री की उम्र 60 वर्ष से अधिक और झारखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए ।
2. तीर्थयात्री बीपीएल श्रेणी के अंतर्गत आना चाहिए (करदाता नहीं होना चाहिए) ।
3. तीर्थयात्री द्वारा पहले इस प्रकार का तीर्थ-दर्शन योजना का लाभ नहीं लिया गया हो ।

(नोटः- तीर्थयात्री इस योजना के अंतर्गत झारखण्ड राज्य में स्थित एक तीर्थस्थान का दर्शन और झारखण्ड राज्य के बाहर स्थित एक तीर्थस्थान का दर्शन के पात्र होंगे । तीर्थयात्रा योजना का एक बार लाभ उठाने के पश्चात् दूसरी बार दो वर्ष की अवधि के बाद ही योजना का लाभ ले सकेंगे ।)

4. मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के लाभार्थियों (स्वयं/पति/पत्नी/ एवं परिवार के सदस्यों) सहयोग हेतु एक पारिवारिक सदस्य भी सह यात्री के रूप में यात्रा में सम्मिलित रहेंगे । इस क्रम में अपने सह यात्री का आवेदन, अपने आवेदन के साथ जमा करना होगा ।

5. तीर्थयात्रा शुरू करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए । किसी भी तरह का संक्रामक रोग (यथा टीबी, सांस लेने में कठिनाई, हृदय रोग, कुष्ठ रोग आदि) से पीड़ित नहीं होना चाहिए ।

6. आवेदक द्वारा झूठी जानकारी देने और तथ्यों को छिपाने पर योजना के तहत मिलने वाले लाभ से कभी भी वंचित किया जा सकता है ।

(घ) <u>आवेदन प्रक्रिया-</u>

1. JTDC द्वारा पूर्व निर्धारित तीर्थस्थानों के संबंध में आवेदन आमंत्रित करेगा । अधिसूचना में आवेदन की अंतिम तिथि, आवेदन पत्र का प्रारूप, यात्राक्रम की विवरणी के साथ सूचना एवं शर्त सम्मिलित रहेगा ।

2. गरीब वरिष्ठ नागरिक (नागरिकों) तीर्थ-दर्शन योजना के लाभ के लिए इच्छुक व्यक्ति दो प्रतियों में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन को भरकर निकटतम प्रखण्ड/अनुमंडल/उपायुक्त कार्यालय में निर्धारित समय-सीमा के पहले जमा करेंगे ।

3. आवेदन पत्र में एक फोटो चिपकाया हुआ एवं एक संलग्न होना चाहिए । निवास प्रमाण-पत्र के रूप में आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बिजली बिल, मतदाता पहचान पत्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी एक प्रमाण-पत्र को 'निवास प्रमाण-पत्र' के रूप में स्वीकार किया जायेगा।

4. यदि गरीब वरिष्ठ नागरिकगण एक साथ समूह में आवेदन जमा करते है, तो चयन हेतु पूरे समूह के आवेदन को एक आवेदन माना जाएगा । एक समूह में अटेंडेंट सहित अधिकतम सदस्यों की संख्या 25 होगी, इससे अधिक मान्य नहीं होगा ।

(ङ) <u>चयन प्रक्रिया-</u>

1. तीर्थयात्रियों का चयन संबंधित जिला स्तरीय प्रबंधन समिति द्वारा किया जाएगा । सबसे पहले, सभी आवेदन स्थानानुसार क्रम में बांट लिया जाएगा । तीर्थयात्रियों का चयन 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर किया जाएगा, यदि तीर्थयात्रियों की संख्या नियतांश (Quota) से अधिक बढ़ जाती है तो इसके अतिरिक्त एक प्रतीक्षा सूची (नियतांश की 10 प्रतिशत) भी तैयार की जाएगी।

2. राज्य एवं जिलों के कुल तीर्थयात्रियों की संख्या पर्यटन विभाग द्वारा सूचित किया जाएगा । यदि इस आयोजन में किसी जिले से पर्याप्त आवेदन प्राप्त नहीं होते है तो शेष आवेदन आवश्यकतानुसार अन्य जिला (या जिलों) से पर्यटन विभाग के निर्णय के आधार पर किया जाएगा ।

3. जिला स्तरीय प्रबंधन समिति आवेदनों को चयनित सूची के साथ JTDC को समर्पित करेगा ।

4. इस आयोजन में चयनित आवेदनों की कुल संख्या किसी भी तीर्थयात्रा के लिए निर्धारित न्यूनतम आवश्यकता से कम होने पर, JTDC अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए पैकेज को रद्द करने में सक्षम होगा ।

5. किसी भी गंतव्य स्थान के लिए तीर्थदर्शन योजना के संचालन हेतु न्यूनतम वांछित आवेदन प्राप्त होना आवश्यक है अथवा JTDC अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए उचित कार्रवाई या पैकेज को करने में सक्षम होगा ।

(च) <u>योजना के अन्तर्गत तीर्थ स्थान -</u>

वर्तमान में, राज्य सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित तीर्थ स्थानों का चयन किया गया है ।

- झारखण्ड राज्य के अंतर्गत तीर्थ स्थान:-
  - i) रजरप्पा
  - ii) देवघर,
  - iii) सम्मेद शिखर
  - iv) वासुकीनाथ,
  - v) मलूटी
  - vi) इटखोरी (माँ भद्रकाली मंदिर)
- झारखण्ड राज्य के बाहर तीर्थ स्थान:-
  - i) द्वारका, सोमनाथ
  - ii) पुरी, भुबनेश्वर
  - iii) तिरूपति, मदुराई, रामेश्वरम
  - iv) हरिद्वार एवं ऋषिकेश
  - v) वैष्णों देवी एवं जम्मु

vi) शिरडी, सिगनापुर, नासिक

vii) अजमेर शरीफ, फतेहपुर सिकरी, आगरा

viii) अमृतसर, स्वर्ण मंदिर

ix) श्रवणबेलगोला

x) वेलांकनी चर्च नागापट्टनम

xi) गोवा, (बेसिलिका ऑफ बाॅम जीसस)

माँग के आधार पर, आमंत्रण के समय श्रज्क्ब् द्वारा तीर्थ स्थानों को अधिसूचित किया जायेगा ।

(छ) तीर्थ यात्रा के लिए राज्य और जिला स्तर की प्रबंधन समितियाँ-

वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु राज्य स्तरीय तीर्थ-दर्शन प्रबंधन समिति का गठन किया जायेगा । इसी तरह, प्रबंधन समितियाँ का गठन जिलों में भी किया जायेगा। दोनों राज्य और जिला स्तरीय समितिद्वारा योजना से संबंधित शिकायतों का समाधान किया जायेगा एवं योजना का अनुश्रवण भी किया जायेगा ।

a. राज्य स्तरीय प्रबंधन समिति-

इस योजना का अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्यों सहितराज्य स्तरीय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा:-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
2. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।
3. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, परिवहन विभाग ।
4. निदेशक, पर्यटन निदेशालय ।
5. विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग ।
6. डी॰आर॰एम॰, राँची ।
7. जी॰एम॰, आई॰आर॰सी॰टी॰सी॰ ।
8. प्रबंध निदेशक, JTDC - सदस्य सचिव

b. <u>जिला स्तरीय प्रबंधन समिति</u>-

उपायुक्त की अध्यक्षता में निम्नलिखित सदस्यों सहित जिला स्तरीय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा जो जिला के तीर्थयात्रियों के नाम का चयन एवं अन्य मुद्दों का समाधान करेंगे ।

1. उपायुक्त - अध्यक्ष
2. जिले के पुलिस अधीक्षक
3. उप विकास आयुक्त
4. अपर समाहर्ता
5. अनुमंडल पदाधिकारी
6. सिविल सर्जन
7. जिला कल्याण पदाधिकारी (DSO)
8. जिला समाज कल्याण पदाधिकारी (DSWO)
9. जिला योजना पदाधिकारी-सदस्य संयोजक (नोडल अधिकारी)

(ज) <u>अन्य नियम और शर्ते -</u>

1. तीर्थयात्रियों को प्रत्येक यात्रा प्रारम्भ करने हेतु निर्धारित स्थान तक जाने के लिए अपना प्रबंध स्वयं करना होगा ।

2. यदि तीर्थयात्रियों को यात्रा के दौरान श्रज्क्ब/सरकार द्वारा निर्धारित अन्य सुविधा का लाभ उठाने की इच्छा होती है तो उसके लिए अलग से भुगतान करना होगा ।

3. यात्रा में ज्वलनशील, मादक पदार्थ या आभूषण ले जाने की अनुमति नहीं होगी ।

4. यात्रा के दौरान दुर्घटना या सामान की किसी भी प्रकार की हानि के लिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं होगी ।

अनुबंधक-क

"मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना"

आवेदन (दो प्रतियों में)

प्राप्ति की तारीखः-			**आवेदन संख्याः-**	**पंजीकरण संख्याः-**
1	**आवेदक का नाम (बडे अक्षरों में)** **(पहचान प्रमाण-पत्र के अनुसार)**	**:**		**एक तस्वीर चिपकाया जाना चाहिए और एक संलग्न किया जाना चाहिए**
2	पिता का पूरा नाम	:		
3	माता का पूरा नाम	:		
4	आवेदक के पति/पत्नी का नाम	:		
5	स्थायी पता	:		
6	वर्तमान पता	:		
7	संपर्क संख्या (टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल)	:		
8	जन्म तिथि	:		
9	जन्म स्थान	:		
10	पेशा	:		
11	झारखण्ड के निवासी (हाँ/नहीं)	:		
12	आवेदन करने की तारीख को उम्र	:		
13	लिंग	:		
14	श्रेणी (एपीएल/बीपीएल) (प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)	:		

15	पहचान प्रमाण-पत्र और आवासीय प्रमाण-पत्र का विवरणी	:	
16	वरिष्ठ नागरिक के साथ यदि पति/पत्नी हो तो (पहचान प्रमाण-पत्र, उम्र, श्रेणी की छायाप्रति संलग्न करें) पति/पत्नी का नाम- फोन संख्या-	:	
17	वरिष्ठ नागरिक के साथ यदि कोई अटेंडेंट हो तो (पहचान प्रमाण-पत्र, उम्र, श्रेणी की छायाप्रति संलग्न करें) अटेंडेंट के साथ रिश्ता- वर्तमान पता फोन संख्या-	:	
18	मेडिकल स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र	:	
19	तीर्थयात्री आय-कर दाता है या नही	:	
20	यात्रा किये जाने वाले तीर्थस्थान (पर्यटन विभाग द्वारा निर्दिष्ट तीर्थ स्थलों में से किसी एक पैकेज का चयन कर सकते है।)	:	

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशानः

तारीखः

सामूहिक रूप से आवेदन करने वाले का विवरण

क्रम सं.	**आवेदक का नाम**	**क्रम सं.**	**आवेदक का नाम**
1.	(समूह का नेतृत्वकर्ता)	2.	
3.		4.	
5.		6.	
7.		8.	
9.		10.	
11.		12.	
13.		14.	
15.		16.	
17.		18.	
19.		20.	
21.		22.	
23.		24.	
25.			

नेतृत्वकर्ता का हस्ताक्षरः

समूह नेता का नामः

तारीखः

ध्यान दें-

- एक समूह में अधिकतम 25 आवेदक (अटेंडेंट सहित) एक साथ आवेदन कर सकते है।
- सभी व्यक्तिगत आवेदनों को एक साथ समूह के सदस्यों की सूची में संलग्न कर जमा किया जाना चाहिए।
- समूह के नेतृत्वकर्ता का नाम स्पष्ट रूप से संकेत किया जाना चाहिए, जो पूरे समूह का प्रतिनिधित्व करेगा।

आवेदक का घोषणा-पत्र

मैंश्री/श्रीमती...पिता/पति......................................
....

निवासी...घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है । मैं किसी भी झूठी जानकारी या तथ्यों को छिपाने के लिए खुद जिम्मेदार ठहराया जाऊँगा । गलत पाये जाने पर मुझे किसी भी समय इस योजना के लाभ से वंचित किया जा सकता है ।

1. प्रमाणित है कि मुख्य मंत्री तीर्थ दर्शन योजना के सभी नियम एवं निर्देश मैने पूर्णतः पढ़कर समझ लिया है और मैं उनका पालन करूँगा/करूँगी ।
2. यात्रा के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना या कठिनाई के लिए राज्य सरकार अथवा उसका कोई अधिकारी/कर्मचारी उतरदायी नहीं होगा ।
3. इस योजना के अन्तर्गत मैने पूर्व में यात्रा नहीं की है ।
4. किसी व्यक्ति को यात्रा के लिए चयन करने हेतु विभाग बंधनकारी नहीं होगा ।

हस्ताक्षर/अंगूठे का निशानः

तारीखः

<u>चिकित्सा प्रमाण-पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.. पिता/पति ....निवासी... ....उम्र .... वर्ष किसी संक्रामक रोग से प्रभावित नहीं है और वह/उसकी यात्रा के लिए शारीरिक रूप से/मानसिक रूप से योग्य है।

चिकित्सा पदाधिकारी का हस्ताक्षर

एवं मोहर

....

पावती

श्री/श्रीमती...पुत्र/पुत्री/पत्नी...
निवासी...आवेदन-पत्रक्रमांक
.... दिनांक .... को प्राप्त किया।

हस्ताक्षर प्राप्तकर्ता

तारीखः

....

DEPARTMENT OF TOURISM, ART CULTURE, SPORTS AND YOUTH AFFAIRS

(DIRECTORATE OF TOURISM)

"MUKHYA MANTRI TEERTH DARSHAN YOJANA"

A SCHEME TO PROVIDE ASSISTANCE

TO POOR SENIOR CITIZEN TO GO ON PILGRIMAGE

Directorate of Tourism

A. Background

Pilgrimage or "Teerth Yatra" holds a special significance in India culture as well as in other cultures of the world. Pilgrimage is considered as a spiritual and divine experience and also a deed of reword. Tradition of Teerth Yatra or pilgrimage has always played an important role in holding the diversities of Indian culture together and intact since ancient times. Moreover, it also promotes social harmony. Every person desires to go on pilgrimage to holy places for the last once in his / her lifetime and such desires reach its peak at an on old age. Due to poverty and backwardness, for many it remains a dream unfulfilled resulting in utter discontentment and non fulfilment of the divine experience. In the epic the Ramayana, Sravan Kumar is a symbol of unflinching dedication to parents by carrying them on his shoulders to pilgrimage. An ideal welfare State always makes a continuous effort to provide the best of its support for a better living of such older people. Such efforts need to include one more component to make its holistic through realisation of this unfulfilled dream of having one Teerth Dham during the lifetime.

Keeping this in view, the State Tourism Government of Jharkhand, Department Of Tourism, Art Culture, Sports and Youth Affairs offers a great opportunity to the poor and deprived senior citizens of the State for realisation of their lifelong dream of having two Teerth Darshan (Pilgrimage) with the support of State. This scheme will be offered to people of all religions/faith.

The scheme will help poor senior citizen over 60 years of age to undertake pilgrimage at Government assistance twice in lifetime. One teerth darshan within Jharkhand State and once out side of Jharkhand State.

Jharkhand Tourism Development Corporation Ltd (JTDC) shall act as the implementing agency for the Yojana. JTDC shall execute MOU / Agreement with I.R.C.T.C (A Govt. of India Enterprise) for implementation the scheme. The pilgrims will be sent under the package of I.R.C.T.C.. In the event I.R.C.T.C is unable to provide tour package to any desired place, JTDC shall at its discretion select operator / agent for operation of tour package to the said destination.

B. Benefit and facilities under this Yojana

- Rail / Road travel to the pilgrim location:
- Food with drinking water throughout the journey:
- Accommodation in nearby destinations if required;
- Tour escorts, tour guides, public address system, special travel kit, travel insurance etc as per requirement;
- Basic medical facility / assistance during pilgrimage.

Details of the above facility along with any additional support facility if any shall be finalised by JTDC with consultation with IRCTC / Tour operator for each package.

C. Eligibility

1. Pilgrim must be over 60 years of age and a domicile of Jharkhand State;
2. Pilgrim must be covered under BPL category (must not be a taxpayer);
3. Pilgrim should not have taken similar benefit of Teerth-Darshan Yojna earlier. (Explanation:- Pilgrim are eligible to avail one teerth darshan with in Jharkhand State and one teerth darshan out side of Jharkhand State under this yojana. Pilgrims availed any one facility shall be eligible for other after a period of 2 years)

4. One family member can accompany the pilgrim (Self/ Husband/ Wife/ and family member) traveling under this scheme. Applications should also be submitted simultaneously.
5. Pilgrim should be physically and mentally sound to undertake journey and should not be suffering from any communicable disease like TB, difficulty in breathing, heart disease, leprosy etc.
6. Applicant providing false information and hiding facts can be deprived of benefit under the scheme anytime.

D. Application Procedure

1. JTDC shall notify for inviting application the pre determined Pilgrim places. The notification shall contain the due date of application, application format, details of tour itineraries along with additional support information and conditions on each package.
2. Poor senior citizen(s) desirous to avail benefit of Teerth-Darshan Yojna should fill up application in prescribed proforma in two copies and submit the same at nearest block/ sub-division/ D.C office before the prescribed time-limit.
3. Photo and address proof should be affixed to application. Aadhaar, driving licence, electricity bill, voters' identity card or any other evidence recognised by the State Government will be accepted as address proof.
4. If poor senior citizens submit application in group, then entire group will be regarded as one application for selection. One group can consist of maximum 25 applicants including attendants.

E. Selection Procedure

1. Selection of pilgrims will be made by District Level Management Committee of concerned District. First, applications will be sorted place-wise. Selection will be made through first come first serve basis if applications outnumber quota. A waiting list of 10 percent quota will also be chalked out.
2. Total number of pilgrims of State and District shall be notified by Department of Tourism. In the event sufficient applications are not received for any District, the balance application shall be considered other District(s) based on the decision of the department of Tourism.

3. District Level Managing Committee shall submit the list of selected applicant to JTDC.
4. In the event the total numbers of applications selected are below the minimum requirement for any destination, JTDC at its sole discretion may cancel the package.

5. In the total number of applications are received are required minimum desired number for conducting the teerth darshan for a destination, JTDC at its sole discretion may take suitable actions or may cancel the teerth darshan package.

F. Pilgrimage centres under scheme

At present, the State Government has selected following pilgrimage centres under this scheme.

- With in Jharkhand State:-
  - i. Rajrappa
  - ii. Deoghar
  - iii. Sammed Shikhar
  - iv. Basukinath
  - v. Maluti
  - vi. Itkhori (Ma Bhadrakali Temple).
- Out side of Jharkhand State:-
  - i. Dwarka, Somnath
  - ii. Puri, Bhubaneswar
  - iii. Tirupati, Madurai, Rameswaram
  - iv. Haridwar & Rishikesh
  - v. Vaishna Devi & Jammu
  - vi. Shirdi, Signapore, Nasik
  - vii. Ajmer Sareef, Fatehpur Sikri, Agra
  - viii. Amritsar Swarn Mandir
  - ix. Shravanabela Gola
  - x. Velankanni church Nagapattnam
  - xi. Goa (Basilica of Bom Jesus)

Based on demand, pilgrimage centres shall be notified by the JTDC while inviting application.

G. State and District-level Managing Committees for pilgrimage

State-level Teerth-Darshan Managing Committee shall be constituted to ensure effective arrangements for pilgrimage journey of senior citizens. Similarly, Managing Committees have also been constituted in districts. Both State and District level committee shall address the grievances related to the yojana and shall be responsible for monitoring of the scheme.

a. State-level Managing Committee

The State Level Committee shall be constituted under the chairmanship of Chief Secretary with the following members to monitor and supervise the scheme.

1. Addl. Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Department of Tourism, Art Culture, Sports and Youth Affairs
2. Addl. Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Home, Jail & Disaster Management Department.
3. Addl. Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Transport Department
4. Director, Directorate of Tourism
5. Special Secretary/ Joint Secretary/ Deputy Secretary, Department of Tourism, Art Culture, Sports and Youth Affairs
6. D.R.M Ranchi
7. G.M IRCTC
8. Managing Director, J.T.D.C- Member Secretary

b. District Level Committee

The District Level Committee shall be constituted under the Chairmanship of Deputy Commissioner with following members to scrutinise and recommend the names of pilgrims and address other issues of pilgrims of the Districts.

1. Deputy Commissioner- Chairman
2. SP of the District
3. District Development Commissioner (DDC)
4. Additional Collector
5. Sub Divisional Officer
6. Civil Surgeon
7. District Welfare Officer (DWO)
8. District Social Welfare Officer (DSWO)
9. District Planning Officer- Member Convenor (Nodal Officer)

H. Other terms and conditions:-

1. The pilgrims should make own arrangements to reach the pickup points as designated for each package.
2. If pilgrims desire to avail any other facility than prescribed by the JTDC/Government during journey, then they will have to make payment for the same.
3. Carrying any inflammable or intoxicating material or jewellery will not be allowed.
4. The State Government will not be responsible for any accident during the journey and for any loss of luggage.

Annexure-A

Application (in duplicate) for

"Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana"

Date of Receipt:	Application No.	Registration No.		
1	**Name of Applicant** **(In Block Capital Letters)** **(As per ID Proof)**	:		**One photograph to be affixed and another to be attached**
2	Father Full Name	:		
3	Mother Full Name	:		
4	Applicant Husband/ Wife Name	:		
5	Permanent Address	:		
6	Present Address	:		
7	Contact no. (Telephone, Mobile, E-mail Address)	:		
8	Date of Birth	:		
9	Place of Birth	:		
10	Occupation	:		
11	Resident of Jharkhand (Yes/No)	:		
12	Age on the date of Application	:		
13	Sex	:		
14	Category (APL / BPL) (Proof to be enclosed)	:		
15	Details of Id proof and address proof	:		

16	Name of the Husband/Wife if companied with the senior citizen (Copy of Id proof, Photograph, Age , Category should be attached) Husband/Wife Name Phone Number	:	
17	Name of the attendant if companied with the senior citizen (Copy of Id proof, Photograph, Age , Category should be attached) Husband/Wife Name Relationship Current Address, Phone Number	:	
18	Medical Fitness Certificate	:	
19	Whether the pilgrim is Income tax. Payer or not	:	
20	Destination to be visited (The pilgrim can choose any one of the Package specified by DoT.)	:	

Signature:

Date:

Details of Group of Applicants

Sl. No.	Name of the Applicant	Sl. No.	Name of the Applicant
1.	(Name of Group Lead)	2.	
3.		4.	
5.		6.	
7.		8.	
9.		10.	
11.		12.	
13.		14.	
15.		16.	
17.		18.	
19.		20.	
21.		22.	
23.		24.	
25.			

Signature

Name of Group Leader:

Date:

Note:-

- Maximum of 25 applicants can apply together in one group (Including attendants).
- All individual applications should be bound together along with list of Group members.
- The Group leaders name should be clearly indicated, who shall represent the entire group.

Applicant Declaration

I, Sri / Smt. ______________________ Son / Daughter / Wife of ______________________ resident of ______________________ do here by declare that the above information furnished by me, are true to the best of my knowledge and belief. I will be held responsible for any false information and hiding facts and will be deprived of the benefit under the scheme it detected at any time.

1. I declare that, I have read/understand all the rules and regulation of Teerth Darshan Yojana and I will follow.
2. State government or government officials will not be responsible for any accident or problem during travelling.
3. I have not travelled under this scheme before.
4. It is not binging upon Department for selection and to take any person under this scheme.

Signature:

Date:

Medical Certificate

This is to certify that Sri / Smt______________________ Son / Daughter / Wife of ______________________resident of______________________ Year ______________________ is not affected from any communicable dieses and he/her is fit Physically/Mentally for travelling.

Signature of Medical Officer

Stamp

……………………………………………………………………………………………………

Receipt Received from Sri / Smt. ______________________ Son / Daughter / Wife of ______________________ resident of ______________________ application number ______________________ on dated ______________.

Signature & Stamp

Date:-

…………………

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

23 अगस्त, 2016

संख्या-4/नि॰ सं॰-12-315/2014 का॰ 7218-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा की श्री सुशील कुमार राय, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी-सह-अंचल अधिकारी, गोईलकेरा, पश्चिमी सिंहभूम द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2013 से 8 मार्च, 2013 तक एवं दिनांक 23 जून, 2013 से 12 अगस्त, 2013 तक उपभोग की गयी उपार्जित अवकाश को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत् स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच॰ के॰ सुधाँशु,

सरकार के अवर सचिव ।

अधिसूचना

23 अगस्त, 2016

संख्या-4/नि0 सं0-12-30/2015 का॰ 7272-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा की श्री विद्या भूषण कुमार, भू-सम्पदा पदाधिकारी राँची क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी, राँची द्वारा दिनांक 1 फरवरी, 2016 से 8 मार्च, 2016 तक उपभोग की गयी उपार्जित अवकाश को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत् स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच॰ के॰ सुधाँशु,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक,प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

23 अगस्त, 2016

संख्या- 1/विविध-813/2015 खण्ड का० -7283--श्रीमति राजेश्वरी बी. भा.प्र.से. (झा:2011), उपायुक्त, रामगढ़ को अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 22 अगस्त, 2016 से 1 सितम्बर, 2016 तक कुल 11 दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति तथा दिनांक 22 अगस्त, 2016 से मुख्यालय छोडने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

3. श्रीमति राजेश्वरी बी. के अनुपस्थिति अवधि में श्री सुनील कुमार, उप विकास आयुक्त, रामगढ़ अपने कार्यों के साथ उनके दैनिक कार्यों तथा विधि व्यवस्था के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरुण कुमार सिन्हा,

सरकार के अवर सचिव ।

अधिसूचना

12 अगस्त, 2016

संख्या-3/नि०सं०-09-99/2014 का.- 6992-- श्रीमती स्मिता टोप्पो, झारखण्ड प्रशासनिक सेवा, संयुक्त निबंधक (मु०), सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची को उपार्जित अवकाश (दिनांक 23 मई, 2016 से 3 जून, 2016 तक) झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230, एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच० के० सुधाँशु,

सरकार के अवर सचिव ।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

अधिसूचना

12 अगस्त, 2016

संख्या-4/नि0सं0-12-76/2015 का.- 6991-- झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के श्री शीलवन्त कुमार भट्ट, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बुडमू के द्वारा दिनांक 19 फरवरी, 2016 से 27 मार्च, 2016 तक उपभोग किये गये अवकाश को उपार्जित अवकाश के रूप में झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत् स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच० के० सुधाँशु,
सरकार के अवर सचिव ।

अधिसूचना

12 अगस्त, 2016

संख्या-3/नि0सं0-09-25/2016 का. 6971-- श्री कृष्ण प्रसाद साहू, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-572/03), संयुक्त सचिव, श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को उपार्जित अवकाश (दिनांक 17 मई, 2016 से 31 मई, 2016 तक) झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत स्वीकृत किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच०के० सुधांशु,
सरकार के अवर सचिव ।

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं शैलेश कुमार मोदी पिता स्व० गोमसत मोदी शपथ पत्र सं०-775 दिनांक 29 जुलाई, 2016 के अनुसार मेरा पुत्र सेजल कुमार जो अभी डी.ए.वी. स्कूल स्वांग में नवम का छात्र है के नामांकन पंजी में गलती से सुशील प्रसाद लिखा गया है, जबकि मेरा नाम शैलेश कुमार मोदी है ।
सुशील प्रसाद एवं शैलेश कुमार मोदी दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है ।

ग्राम- जी० एम०60/बी, बोकारो थर्मल,
पोस्ट+थाना- बोकारो थर्मल,
जिला- बोकारो (झारखण्ड)

प्रकाशनार्थ सूचना

मैं SANTOSH KUMAR पुत्र SRI CHANDRA MOHAN PRASAD शपथ पत्र सं० 208 दिनांक 13 मई, 2016 के अनुसार SANTOSH SRIVASTAWA के नाम से जाना जाऊँगा ।

SANTOSH KUMAR एवं SANTOSH SRIVASTAWA दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है।
पूर्व में प्रकाशित झारखण्ड गजट (साधारण) सं०-4 इस हद तक संशोधित समझा जाय ।

RESIDENT OF—UMA NIWAS, SRIKRISHNA PURI
GURUDWARA ROAD, CHAS
P.O & P.S- CHAS
DIST—BOKARO
STATE--JHARKHAND

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (साधारण) 29–50 ।